मीरा देवी बनाम राजेन्द्र प्रसाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र वाजदायरी नं. – 66/2024
	वकील साहिबान अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या-1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस/प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 18-09-24 को पेश हो।।
18.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 25.9.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) सिविल न्यायाधीश [illegible] श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
25.09.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकील प्रार्थीगण पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि प्रार्थीगण के पति/पिता स्व0 मालीराम पुत्र कालूराम ने उक्त मूल वादपत्र बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश कर रखा था। जिसमें प्रार्थीगण के पति/पिता ही अधिवक्ता के पास पैरवी हेतु आते थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 03.04.2024 को हो गई है तथा उनका वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.02.2023 को वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज हुए है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हो सकी। प्रार्थीगण के द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर पत्रावली की तलाश की जाने पर वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 08.02.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी [illegible] होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.06.2024 को प्राप्त होने पर वाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया गया है। प्रार्थीगण का दावा उदघोषणा का होने से प्रार्थीगण के विधिक अधिकार व हित निहित होने से

—लगातार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.10.15 11:49:27 IST
Reason: SelfAttested

भौरी देवी बनाम राजेन्द्रकुमार

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र वाजदायरी) मु.नं. 66/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में किया है। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के दिनांक 08.02.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.06.2024 को प्राप्त होने पर वाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया जाना प्रकट होता है। उक्त वाजदायरी प्रार्थना पत्र में जारी नोटिसों पर अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र अचल सम्पत्ति का होकर उद्घोषणा से सम्बन्धित है। जिसको सिद्ध करने का समस्त दायित्व प्रार्थीगण/वादीगण का ही होता है। मूल वादपत्र के अचल सम्पत्ति का होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण के प्रति उदार रवैया अपनाते हुए प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मालीराम बनाम राजेन्द्र वगै0 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया [illegible] उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को [illegible] हेतु पक्षकारान प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] न्यायालय में दिनांक 10.10.2024 को पेश हो। [illegible]ना पत्र वाजदायरी फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2024.10.15 11:49:27 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	